

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष /IFMS/पे-मैनेजर / 12876-881

दिनांक 19/3/2019

1. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
2. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
3. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
4. उपमहाप्रबन्धक, (FSLO), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. सहायक महाप्रबन्धक (FSLO), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तिलक मार्ग, जयपुर
6. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 को अंतिम कार्य दिवस को कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा पारित किए जाने वाले ऑनलाईन भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए अंतिम कार्य दिवस को कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा पारित किए गये बिलों के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :—

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम कार्य दिवस को कोषालयों द्वारा सामान्य कार्य समय सांय 6.00 बजे तक ऑनलाईन भुगतान हेतु सॉफ्ट फाइल तैयार की जाकर बैंक को सिस्टम पर उपलब्ध करवायी जायेगी। अतः समस्त प्राप्त भुगतान फाइलों का समय पर डार्कलोड लेकर उसी कार्य दिवस ई-भुगतान का दायित्व सम्बद्ध बैंक/आर.बी.आई. ई-कुबेर का होगा।
2. ऑनलाईन भुगतान के दौरान यदि कोई ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होता है तो उसका बैंकर्स चैक बनाकर अंतिम कार्य दिवस के भुगतान स्क्रॉल के साथ संबंधित कोषालय/उपकोषालय को डीडीओ कोड, टोकन नम्बर, बिल नम्बर एवं लाभार्थी का नाम एवं बैंक के विवरण के साथ आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. यदि कोई फाइल किसी कारण से रिजेक्ट होती है तो उसका लॉग अविलम्ब सिस्टम पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित कोषाधिकारी द्वारा नई फाइलें बनाई जाकर बैंक को उपलब्ध करवाई जा सके।
4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए आय एवं व्यय से संबंधित समस्त संव्यवहारों के प्रतिदिन स्क्रॉल पूर्णत शुद्धता के साथ जाँच करने के उपरान्त सिस्टम पर ऑनलाईन अपलोड किया जाना एवं हार्डप्रति संबंधित कोषालय/उपकोषालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।
5. कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा प्रेषित की गई ई-भुगतान फाइलों का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान स्टेट्स रियल टाईम बेसिस पर प्रतिदिन सिस्टम पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के चालानों एवं राजकीय दावों के भुगतानों हेतु एजेन्सी बैंक के स्तर पर होने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान ई-मेल प्राप्त होते ही अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
7. एजेन्सी बैंक के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के राजकीय आय एवं व्यय के समस्त संव्यवहारों को पूर्ण रूप से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी वैध संव्यवहारों को राजकीय लेखांकन प्रणाली में सम्मिलित कर लिया गया है। मार्च 2019 के डी.एम.एस. संबंधित कोष एवं उपकोष को उपलब्ध करवाये जाने के बाद भी एजेन्सी बैंकों के स्तर पर छोड़ गये संव्यवहार हेतु पूर्ण दायित्व उनके स्तर पर वहन किया जायेगा। समस्त प्रकार के राजस्व प्राप्तियों के ई-स्क्रॉल ई-कोषालय को समय पर प्रेषित किए जाये तथा इस वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्तियों तथा पी.डी./एम.ई. के समस्त संव्यवहार पूर्ण रूप से मिलान कर लिए जाये जिससे मार्च 2019 के स्क्रॉल डी.एम.एस. के बाद कोई भी संव्यवहार रिपोर्टिंग हेतु लंबित न रहे।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/पै-मैनेजर / 12882-12928

दिनांक 19/3/2019

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपमहालेखाकार (लेखे), महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर
2. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर
4. उपमहाप्रबन्धक, SBI, Cash Management Product Operation Centre, Survey no. 26, Lingampally Hyderabad- 500019 को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
5. कोषाधिकारी, समस्त
6. ई-कोषाधिकारी, ई-कोषालय, वित्त भवन, जयपुर
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव